न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः–41/2024 दायर दिनांकः– 26.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024/241

रामलाल पुत्र महाराजसिंह, उम्र 50 साल, जाति जाट, निवासी चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला–करौली (राज०)

– प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली (राज०)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितः– 1. श्री बी एल भोजवाल वकील प्रार्थीगण
2. श्री पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवा में प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1293, 863, 865, 371/1799, 893, 894, 895, 516, 517, 518, 519, 597, 598, 773, 1054, 1056, 1057, 1066, 1069, 1070, 1073, 1081, 16, 19, 31, 32, 403, 413, 421, 439, 440, 452, 461, 464, 485, 493, 504, 505, 534, 542, 543, 544, 572, 578, 622, 625, 63, 698, 701, 730, 731, 736, 737, 738, 565, 566, 569, 570, 441, 448, 457, 1607, 571, 1582. 1583, 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1601 से 1606, 1630, 1633 से 1638, 1651,1652, 1653, 1293, 863, 865 स्थित ग्राम चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला करौली स्थित है। प्रार्थी के पिता महाराज सिंह के दो भाई मलखान और जीतमल हैं, जिनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी व बिजेन्द्रसिंह, खिल्लो, लक्ष्मण के नाम उक्त आराजी का विरासत का नामांतकरण संख्या 259 दिनांक 05.08.2003 हिस्सा 1/6 खुल गया। उक्त नामांतकरण में प्राथी का नाम रामलाल ही अंकित है. लेकिन टाईपिंग मिस्टेक से या कर्मचारियों की भूल [illegible] का नाम उक्त खसरा नम्बराक में दो जगह अंकित हो गया है. [illegible] स्थान पर रामलाल किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी दिनांक 21.06.2024 को अपनी मां के नाम विरासत का नामांतकरण खुलवाने हेतु तहसील सूरौठ गया तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि हाल जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम दो जगह अंकित है। प्रार्थी ने रामा नाम को हजफ कराने का तहसीलदार सूरौठ से निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने प्रार्थी का दूसरा नाम रामा हजफ करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय की अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1293, 863, 865, 371/1799, 893, 894, 895, 516, 517, 518, 519, 597, 598, 773, 1054, 1056, 1057, 1066, 1069, 1070, 1073, 1081, 16, 19, 31, 32, 403, 413, 421, 439, 440, 452, 461, 464, 485, 493, 504, 505, 534, 542, 543, 544, 572, 578, 622, 625, 63, 698, 701, 730, 731, 736, 737, 738, 565, 566, 569, 570, 441, 448, 457, 1607, 571, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1601 से 1606, 1630, 1633 से 1638, 1651,1652, 1653, 1293, 863, 865 स्थित ग्राम चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला करौली की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में दर्ज सायल का नाम रामा नाम हजफ कर उसके स्थान पर रामलाल दर्ज किया जावे एवं उसके हिस्से को रामलाल नाम में शामिल किया जावे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 420 दिनांक 06.09.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. ग्राम चिनायटा में मुकदमा संख्या 41/24 में प्रार्थी रामलाल पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी चिनायटा अपने नाम को शुद्ध करवाना चाहता है।
2. प्रार्थी के वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 308, 310, 311, 312, 313, 314 में रामा पुत्र महाराजसिंह व रामलाल पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी चिनायटा दर्ज रिकार्ड है।
3. प्रार्थी नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible].07.1990 से रामा पुत्र महाराजसिंह विरासत से आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

4. नामान्तकरण संख्या 259 दिनांक 05.08.2003 में जीतमल पि. मौहरसिंह की विरासत से रामलाल पुत्र महाराजसिंह आया है। गांव में जानकारी करने पर बताया कि दोनों व्यक्ति एक ही है। दो बार विरासत खुलने पर दो अलग–2 नामों से दोहरी प्रविष्टि हुई है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति आधार कार्ड रामलाल पुत्र महराज सिंह, फोटो कॉपी नामांतकरण, फोटो कॉपी जमाबंदी, नकल जमाबंदी संवत 2047, (किता 3) पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहरया।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल फोटो प्रति आधार कार्ड रामलाल पुत्र महराज सिंह, फोटो कॉपी नामांतकरण, फोटो कॉपी जमाबंदी, नकल जमाबंदी संवत 2047 है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव एवं प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल आर एक्ट के परिधि में नहीं आता है। प्रकरण अपील नामांतकरण से संबंधित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:40 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन